राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकःएफ1(ए)169/पार्ट–7/संस्था/बीमा/00197/ दिनांक : 13/09/2023

आदेश 214

जिला कलक्टर, झुन्झुनू के पत्रांकःएफ.1()()अ.नि./स्था/2019/280 दिनांक 31.03.2023 एवं वित्त (बीमा) विभाग के पत्रांकः प.4(94)वित्त/राजस्व/93 पार्ट–II लूज दिनांक 03.07.2023 के क्रम में कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.09.2022 के द्वारा **राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक(शहीद) के आश्रितों की नियुक्ति नियम 2022** एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत शहीद आश्रितों की नियुक्ति हेतु गठित विभागीय कमेटी की अनुशंषा के आधार पर कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांकःप.7(2)डीओपी/क–2/2005 दिनांक 20.01.2006, वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ12(6)वित्त/नियम/05 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ1(2) वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 में उल्लेखित शर्तो पर 02 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन काल में निम्नांकित शहीद आश्रितों को **कनिष्ठ सहायक** के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाकर एतदद्वारा नियुक्त किया जाता हैः–

क्रम संख्या	शहीद का नाम	मृत्यु दिनांक	आश्रित का नाम, शहीद से संबंध	पिता का नाम	जन्म दिनांक	श्रेणी	पदस्थापन स्थल, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
1	शहीद हवलदार श्री सुण्डाराम	15.12.1971	श्री आशीष कुमार, पौत्र	श्री महावीर प्रसाद	15.08.1996	OBC	मुख्यालय, जयपुर
2	शहीद नायक खुर्शेद अली खान	14.12.1971	श्री आतिश खान ,पौत्र	श्री मोहम्मद रफीक	16.12.2002	OBC	झुन्झुनू
3	शहीद ग्रेनेडियर्स मोहम्मद हनीफ	14.12.1971	श्री साजिद अली, पौत्र	श्री अलीयास अली	06.12.1993	OBC	साधारण बीमा निधि, वित्त भवन, जयपुर।
4	शहीद हवलदार श्री गंगाधर	05.12.1971	श्री राजेश कुमार ,पौत्र	श्री मोहन लाल	02.12.1995	OBC	साधारण बीमा निधि, वित्त भवन, जयपुर।
5	शहीद दफेदार श्री मोहब्बत सिंह	10.12.1971	श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत, पौत्र	श्री राजपाल सिंह	14.04.1987	UR	आरजीएचएस, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Hem Pushpa Sharma
Designation : Director
Date: 2023.09.12 20:17:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4565499

उक्त आश्रितों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई आधार पर **कनिष्ठ सहायक** के पद पर निम्नांकित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1 अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।

2 इन्हें परिवीक्षा की कालावधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.15(1)एफडी (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 16 अनुसूची–4 में उल्लेखित शर्तो के अनुसरण में रूपये 14600/– (फिक्स) की दर से मासिक भुगतान किया जाएगा।

3 इनके द्वारा परिवीक्षा की कालावधि में नियमित/निरन्तर संतोषजनक सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर निर्धारित रनिंग पे बेण्ड 5200–20200 (पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या 5) सम्बन्धी आदेश पृथक से जारी किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

4 **राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक(शहीद) के आश्रितों की नियुक्ति नियम 2022 के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार "चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा, जैसे प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर पर टंकण हेतु प्रारंभिक नियुक्ति के समय जोर नहीं दिया जायेगा तथापि, स्थायीकरण के लिए नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर–भीतर आश्रितों से ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या कम्प्यूटर पर टंकण उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जिसमें असफल रहने पर, उसकी नियुक्ति समाप्त किये जाने के दायित्वाधीन होगी। कोई भी वार्षिक वेतन वृद्धियां अनुज्ञेय नहीं होंगी जब तक कि वह ऐसी अर्हताएं अर्जित नहीं कर लेता/लेती है। ऐसी अर्हताएं अर्जित कर लेने पर नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप में वार्षिक ग्रेड वृद्धियां अनुज्ञेय होंगी किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा"।**

5 अभ्यर्थी को 15 दिवस में कार्यग्रहण(Duty Joining) करना होगा। राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।

6 उक्त नियुक्तियां राजस्थान मृत सशस्त्र बल कार्मिक(शहीद) के आश्रितों की नियुक्ति नियम 2022 व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होंगी।

7 राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश स्वतः ही लागू होंगे, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।

8 कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे–

1. पुलिस चरित्र सत्यापन 2. सक्षम स्तर से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र 3. शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि का प्रमाण–पत्र, 4. परिवार का विवरण, 5. दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र, 6. दहेज नहीं लेने–देने का शपथ पत्र, दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र, कार्यग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश कर, सत्यापित प्रतियां(एक सेट) प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा।

(हेम पुष्पा शर्मा)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Hem Pushpa Sharma
Designation : Director
Date: 2023.09.12 10:17:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4565499

क्रमांकःएफ1(ए)169/पार्ट–7/संस्था/बीमा/00197/ 4503–30 दिनांक : 13/09/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, झुन्झुनू को उनके पत्रांकःएफ.1()()अ.नि./स्था/2019/280 दिनांक 31.03.2023 के क्रम में।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक प. 4(94)वित्त/राजस्व/93 पार्ट–II लूज दिनांक 03.07.2023 के क्रम में।
5. वरि. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ अति.निदेशक(सतर्कता), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, **जयपुर संभाग–द्वितीय, जयपुर।**
10. संयुक्त निदेशक(मुख्यालय/संस्थापन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
11. परियोजना/अतिरिक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, आरजीएचएस, जयपुर/साधारण बीमा निधि, जयपुर/झुन्झुनू उक्त वर्णित बिन्दु संख्या <u>08</u> की पालना सुनिश्चित करें।
12. जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, चिडावा, झुन्झुनू।
13. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, मुख्यालय, जयपुर उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
14. केडर स्ट्रैंथ लिपिक/ सेवा पुस्तिका लिपिक/ वरिष्ठता निर्धारक लिपिक/ए.सी.आर. संधारण लिपिक, मुख्यालय, जयपुर।
15. संबंधित अभ्यर्थी 1. श्री आशीष कुमार पता–कृषि उपज मण्डी के सामने, नयाबास रोड, नीम का थाना सीकर 2 श्री आतिश खान पता–झांझोत, खुडोत, चिड़ावा, झुन्झुनूं–333027 3 श्री साजिद अली पता– अरड़ावता, चिड़ावा, झुन्झुनूं 4 श्री राजेश कुमार पता– स्यालू कलां, चिडावा, झुन्झुनूं 5 श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत, पता– हीरवा, बुहाना, झुन्झुनूं–333027 को प्रेषित कर लेख है कि आप उक्त वर्णित **बिन्दु संख्या 08** <u>के अनुसार दस्तावेजों की पूर्ति करते हुए 15 दिवस में कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करे।</u>
16. निजी पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।

(हेम पुष्पा शर्मा)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Hem Pushpa Sharma
Designation : Director
Date: 2023.09.12 10:17:07 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4565499